क्रम संख्या–65 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जुलाई, 2025 ई0

आषाढ़ 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 245/XXXVI (3)/2025/16(1)/2025

देहरादून, 03 जुलाई, 2025

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025' पर दिनांक 02 जुलाई, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 13 वर्ष, 2025 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2025)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
		(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 19 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023, (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :—
		(ग) प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।
धारा 28 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम में धारा 28 की उपधारा (2) के पश्चात् उपधारा (2) व उपधारा (3) के रूप में संख्यांकित उपधाराओं को क्रमशः उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।
धारा 42 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) में "राष्ट्रीयकृत बैंक" शब्दों के स्थान पर राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे।
अनुसूची 2 का संशोधन	5.	मूल अधिनियम की अनुसूची–2 में क्रम संख्या–4 के पश्चात क्रम संख्या सहित निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र0 स0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
5.	फॉनिक्स विश्वविद्यालय ग्राम ईमली खेडा धर्मपुर, 12 माइल स्टोन, भगवानपुर, रूडकी, हरिद्वार।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	सेठ विमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट, 57/2, सिविल लाईन, रूड़की, हरिद्वार।
6.	एथिक्स विश्वविद्यालय ग्राम उरेगी, पौडी गढ़वाल।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	राधा स्वामी एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाईटी, नई दिल्ली।
7.	द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ–वेस्ट हिमालयाज ग्राम सनगांव/धारकोट, तहसील डोईवाला, देहरादून।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	द शिवालिक हिल फाउण्डेशन ट्रस्ट, ई–16, केवल विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
8.	श्री ओम विश्वविद्यालय NH-58, पतंजलि से एक 01 कि०मीटर आगे, निकट क्रिस्टल वर्ल्ड, पंचायनपुर पो0 दौलतपुर, रूडकी, हरिद्वार।	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025	ओम सोशल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 38 भगवतपुरम, कनखल, हरिद्वार।

कठिनाईयों के निवारण करने की शक्तियां

6. (1) यदि फॉनिक्स विश्वविद्यालय, रूड़की अथवा एथिक्स विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल अथवा द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, देहरादून अथवा श्री ओम विश्वविद्यालय, रूड़की की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

7. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

धनंजय चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रूड़की में "फॉनिक्स विश्वविद्यालय," पौडी गढ़वाल में "एथिक्स विश्वविद्यालय", देहरादून में "द यूनिर्वसिटी ऑफ नार्थ वेस्ट हिमालयाज" तथा रूड़की में "श्री ओम विश्वविद्यालय" नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेगें। उक्त विश्वविद्यालयों का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यो को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2-- उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (यथासंशोधित) में प्रकाशन की त्रुटियों एवं अन्य धाराओं में संशोधनों को किया जाना भी समीचीन है।

3-- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

No. 245/XXXVI(3)/2025/16(1)/2025
Dated Dehradun, July 03, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025' (Act No. 13 of 2025).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 02 July, 2025.

The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025
(Uttarakhand Act No. 13 Year, 2025)

An

Act

further to amend in the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025.
		(2)	It shall come into force at once.
Amendment of Section 19	2.		In the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 19, sub-section (1), for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :-
			(c) be ex-officio chairman of the Board of Management and the Academic Council.

Amendment of Section 28

3. In section 28 of the principal Act, after sub-section (2) the sub-sections numbered as sub-section (2) and sub section (3) shall be renumbered as sub-section (3) sub-section (4) respectively.

Amendment of Section 42

4. In section 42 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "Nationalized Bank" the words "Nationalized/Scheduled Bank'' shall be substituted.

Amendment of Schedule 2

5. In schedule-2 of the principal Act after serial number 4, the following serial numbers with entries shall be inserted, namely :-

S.No	Name and Main Campus of the University	Name of Acts	Sponsoring Body
5.	Phonics University, Village Imli khera Dharampur, 12 Mile Stone, Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar.	The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025	Seth Vimal Prasad Jain Educational Trust, 57/2, Civil Line, Roorkee, Haridwar.
6.	Ethics University, Village Uregi, Pauri Garhwal.	The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025	Radha Swami educational and vocational Training society, New Delhi.
7.	The Universitry of North West Himalayas, Village Sungaon/Dharkot, Tehsil Doiwala, Distt. Dehradun.	The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025	The Shivalik Hill Foundation Trust, E-16, Kewal Vihar Sahstradhara Road, Dehradun.
8.	Shree Om University, NH-58, 1 kms Ahead Of Patanjali Near Crystal World Panchayanpur Post Office Daulatpur, Roorkee, Haridwar.	The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025	Om Social and Welfare Trust, 38 Bhagwat puram, Kankhal, Haridwar.

Power to remove difficulties

6. (1) If any difficulty arises regarding the establishment of Phonics University, Roorkee or Ethics University, Pauri Garhwal or The University of North West Himalayas, Dehradun or Shree Om University, Roorkee, then the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Assembly as soon as after it is made.

Saving

7. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Principal Secretary.

Statement of Objective and reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the state Government that private Universities with the name "Phonics University", Roorkee, "Ethics University", Pauri Garhwal, "The University of North West Himalayas", Dehradun and "Shree Om University", Roorkee shall be established. The aim of the said Universities is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote state related research programmes and to provide employment resources.

2- It is also appropriate to make amendments to the errors in publication and other sections in the Uttarakhand Private University Act, 2023 (as amended).

3- The proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/311–2025–100+500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।